राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 511/2014

अशोक कुमार सिंघल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, पीएचईडी, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.07.2014
आदेश की दिनांक : 05.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.06.1987 (अनुलग्नक–1) द्वारा जेईएन डिग्रीधारी पद पर वेतनमान 1160–2360 में की गई। नियुक्ति के समय अपीलार्थी की योग्यता बैचलर ऑफ इन्जीनियरिंग (सिविल) थी। उक्त नियुक्ति आदेश स्थानापन्न रिक्ति के विरुद्ध जारी किया गया था। इसके पश्चात जेईएन डिग्री धारक के पद पर चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर आदेश दिनांक 29.06.1988 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं की संवीक्षा कर नियमितीकरण किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उसे प्रारंभ में आदेश दिनांक 11.06.1987 द्वारा जेईएन डिग्री धारक के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके लगातार कार्यरत रहते हुए आदेश दिनांक 29.06.1988 द्वारा उसे नियमित कर दिया गया। विभाग में कुछ व्यक्तियों को दिनांक 27.03.1987 को जेईएन डिप्लोमा धारक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की योग्यता भी थी, लेकिन उन्होंने डिप्लोमा धारक योग्यता की श्रेणी के विकल्प का चयन किया। डिग्री धारक संवर्ग में वरिष्ठता सूची दिनांक 03.07.1991 को जारी करते समय जिन व्यक्तियों को दिनांक 27.03.1987 से दिनांक 29.06.1988 तक डिप्लोमा धारक की श्रेणी में नियुक्त किया गया था, उन्हें जेईएन डिग्री धारक के कैडर में अपीलार्थी की तुलना में ऊपर रखा दिया गया (अनुलग्नक–3)। उक्त वरिष्ठता सूची जारी की गई लेकिन किसी भी व्यक्ति को पृष्ठांकित नहीं की गई थी और इस कारण अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची जारी होने की जानकारी नहीं थी। पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी एवं सिंचाई तीन विभागों में जेईएन के कैडर में वरिष्ठता के संबंध में विजय सिंह देवडा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के

मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विवाद आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि किसी व्यक्ति को डिप्लोमा धारक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उसकी वरिष्ठता डिप्लोमा धारक में रहेगी और यदि वह अपनी वरिष्ठता को डिप्लोमा धारक से डिग्री धारक में बदलना चाहता है, तो उसे मौजूदा कार्यरत डिग्रीधारी जेईएन से सबसे नीचे रखा जाएगा। अर्थात् जो दिनांक 11.06.1987 को जेईएन डिग्रीधारी नियुक्त हुए है, डिप्लोमाधारी के रूप में नियुक्त कनिष्ठ अभियन्तों को उनसे नीचे रखा जायेगा जबकि विभाग ने इन्हें वरिष्ठता सूची में उपर रखा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय सिंह देवडा बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय के विपरीत है। वरिष्ठता के गलत निर्धारण के कारण, एईएन के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के प्रकरण को वर्ष 2008–09 की रिक्ति के विरुद्ध विचार किया गया और जिन व्यक्तियों को शुरू में जेईएन डिप्लोमा धारक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें डिग्री धारक में बदल दिया गया, को वर्ष 2006–07 और 2007–08 की रिक्ति के विरुद्ध एईएन के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था और वरिष्ठता के इस गलत निर्धारण के कारण अपीलार्थी को वर्ष 2008–09 की रिक्ति के विरुद्ध विचार किया गया था, जारी पदोन्नति आदेश अनुलग्नक–4 पर है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अपने अधिवक्ता जरिये दिनांक 27.05.2014 (अनुलग्लनक–5) द्वारा न्याय की मांग के लिए एक नोटिस भी भेजा लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के पदोन्नति आदेश दिनांक 01.01.2013 को संशोधित किया जाए कि अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की रिक्ति के विरुद्ध सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे एवं अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियन्ता डिग्रीधारी की वरिष्ठता सूची में उसे कनिष्ठ अभियन्ताओं डिप्लोमाधारी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के ऊपर रखा जाए, जिनको दिनांक 11.06.1987 से पहले से जून 1988 के मध्य नियुक्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार से वरिष्ठता सूची को संशोधित किया जाकर अपीलार्थी को सहायक अभियन्ता के पद की वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार करते हुए समस्त पारिणामिक परिलाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.06.1987 द्वारा तदर्थ स्तर (एडहोक) पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिन्हें बाद में आदेश दिनांक 22.06.1988 द्वारा विभागीय चयन समिति की अभिशंषा पर नियमित नियुक्ति दी गयी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.07.1991 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग में दिनांक 30.07.1977 से 31.03.1991 की अवधि में ए.एम.आई.ई. उर्तीणोउपरान्त स्थानान्तरण/नियमित नियुक्ति/सेवारत कनिष्ठ

अभियन्ता डिग्रीधारी सिविल की प्रोविजनल सूची में प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर, अन्तिम रूप से वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। राजस्थान इंजिनियरिंग सर्वोडिनेट सर्विस (पब्लिक हैल्थ ब्रांच) नियम 1967 के नियम– 6(4) में प्रावधान है किः–

"If a Diploma Holder Junior Engineer attains the qualification of B.E. (Civil/Mechanical/Electrical) or AMIE, he shall be entitled on his application and subject to availability of vacancy, to be appointed as junior Engineer (Degree Holder) by transfer against the quota of direct recruitment but in that case his seniority amongst the junior Engineers (Degree Holder) shall be determined from the date of occurrence of vacancy against which such Juinor Engineer (Degree Holder) and one third of his previous experience shall be counted as experience on the post of Junior Engineer for the purpose of promotion to the next higher post." तद्नुसार डिप्लोमाधारी द्वारा सेवा में आने के बाद डिग्री की योग्यता अर्जित करता है तो उसे रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर डिग्रीधारी में शामिल किया जाता है। चूंकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तदर्थ स्तर पर की गयी थी। अतः उक्त नियमों में तदर्थ नियुक्ति स्तर से वरिष्ठता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार कथनानुसार डिप्लोमाधारियों को उक्तानुसार अर्जित डिग्री की योग्यता के फलस्वरूप डिग्रीधारियों की वरिष्ठता दिया जाना एवं अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिनांक 22.06.1988 से वरिष्ठता दिया जाना नियमानुसार उचित है। अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिनांक 22.06.1988 से वरिष्ठता का लाभ दिया गया है एवं 1987 में डिग्री करने वाले कार्मिकों को अपीलार्थी से उपर दी गई, वरिष्ठता नियमानुसार है। कनिष्ठ अभियन्ता की वरिष्ठता सूची दिनांक 03.07.1991 के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर डी.पी.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2001 को वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित की गयी थी। दिनांक 03.07.1991 से 24.11.2001 तक व इसके परिणाम 4–8– (डिप्लोमा) के परिणाम जारी होने की दिनांक तक के लिये अपीलाथी द्वारा वाद दायर करना विलम्ब की श्रेणी में आता है। वरिष्ठता सूची दिनांक 03.07.1991 के अनुसार सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति वर्ष 2001–02 तक के लिए नियमित डीपीसी आयोजित की गई थी। एस.बी. सिविल याचिका संख्या 4025/01 प्रदीप भारद्वाज व अन्य बनाम राज्य सरकार, याचिका संख्या– 527/92 सुनील जोशी बनाम सरकार, सिविल याचिका संख्या 11024/09 कमल किशोर व्यास व अन्य बनाम सरकार एवं अन्य प्रकरण में पारित किये गये निर्णयों की डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 10/03 सरकार बनाम आर.एस. भार्गव में पारित किये गये निर्णय दिनांक 28.07.2008 के अनुसार पालना करने के लिये, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी व कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिप्लोमाधारी की दिनांक 01.04.2009 तथा दिनांक 03.09.2009 को जारी की गयी वरिष्ठता सूचियों के अनुसार राजस्थान सर्विस ऑफ इंजिनियर्स एण्ड एलाईड पोस्ट

(पी.ए. ब्रान्च) नियम 1968 के अन्तर्गत वर्ष 1973 से वर्ष 2001–02 तक रिव्यू डीपीसी व वर्ष 2002–03 से 2013–14 तक नियमित डीपीसी की जाकर परिणाम आदेश दिनांक 14.09.2011, 20.09.2011, 01.02.2012, 01.01.2013, 04.10.2013 व 25.02.2014 द्वारा जारी किये गये थे। जिसमें आदेश दिनांक 01.01.2013 में वर्ष 2008–09 में डिग्री सिविल की रिक्ति के विरूद्ध क्रम सं. 11 पर अपीलार्थी को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार अपीलार्थी को सहायक अभियन्ता के पद पर वर्ष 2008–09 की रिक्ति के विरूद्ध कनिष्ठ अभियन्ता की वरिष्ठता सूची दिनांक 03.07.1991 के आधार पर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नहीं की जाकर वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2009 तथा 03.09.2009 पर आधारित थी। अतः अपीलार्थी ने कनिष्ठ अभियन्ता की वरिष्ठता सूची दिनांक 03.07.1991, 01.04.2009 एवं 03.09.2009 में से किसे उचित नहीं माना है, इसे स्पष्ट नहीं किया है जबकि समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गयी है । वर्तमान पदोन्नति आदेश में अपीलार्थी किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन स्थापित करने में असमर्थ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में उपलब्ध रिकार्ड एवं उभय पक्षों के अभिकथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.06.1987 (अनुलग्नक–1) द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी सिविल) के पद पर 6 माह अथवा विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो पूर्णतया एडहोक आधार पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय चयन समिति की अभिशंषा पर आदेश दिनांक 29.06.1988 (अनुलग्नक–2) द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी के पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 03.07.1991 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई (अनुलग्नक–3)। इस सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें विभाग में दिनांक 30.05.1977 से 31.03.1991 की अवधि में ए.एम.आई.ई. उत्तीर्णोपरान्त स्थानान्तरण/नियमित नियुक्ति/ सेवारत कनिष्ठ अभियन्ता डिग्री सिविल को शामिल किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि कई व्यक्तियों ने कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) की श्रेणी में नियुक्ति हेतु आवेदन कर नियुक्ति प्राप्त की उस समय उनके पास बी.ई. की डिग्री भी थी। बाद में उसी डिग्री के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा से कनिष्ठ अभियन्ता डिग्री में स्थानान्तरण कर लिया जबकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सेवा में रहने के दौरान डिग्री अर्जित करने पर ही उस आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता डिग्री में स्थानान्तरण किया जा सकता है परन्तु अपीलार्थी ने अपनी अपील में एक भी ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता का

नाम नहीं बताया है, जो कि कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमाधारी के रूप में नियुक्त हुआ हो तथा नियुक्ति के समय डिग्रीधारी था एवं उस डिग्री के आधार पर उसे कनिष्ठ अभियन्ता डिग्री में स्थानान्तरण करके उसे जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 03.07.1991 में अपीलार्थी से वरिष्ठ कर दिया हो। अपील के साथ डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियुक्ति आदेश की कोई प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से वरिष्ठता सूची दिनांक 03.07.1991 में क्रम संख्या 191 पर शशिकांत बतरा एवं क्रम संख्या 199 पर अंकित श्री नरेश कुमार गौड़ के संबंध में निवेदन किया। परन्तु अपीलार्थी ने इनके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए, जिससे यह साबित हो सके कि इन्होनें नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमाधारी श्रेणी में हुई तब नियुक्ति के समय डिग्रीधारी भी थे एवं उसी डिग्री के आधार पर उन्होंने डिग्रीधारी श्रेणी के स्थानान्तरण कराया हो। श्री शशिकांत बतरा के संबंध में वरिष्ठता सूची में अंकित विवरण से स्पष्ट है कि उनकी नियुक्ति डिप्लोमा इन सिविल में जारी प्रमाण पत्र दिनांक 16.07.1985 के आधार पर हुई एवं ए.एम.आई.ई. की डिग्री दिनांक 27.03.1987 के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की गई जो अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 29.06.1988 से पहले का है। इसी प्रकार क्रम संख्या 199 पर अंकित नरेश कुमार गौड़ के संबंध में वरिष्ठता सूची में अंकित विवरण के अनुसार उनकी नियुक्ति डिप्लोमा इन सिविल दिनांक 13.01.1983 के आधार पर हुई एवं ए.एम.आई.ई. के आधार पर दिनांक 20.04.1988 को सहायक अभियन्ता डिग्रीधारी में वरिष्ठता दी गई। यह कार्यवाही भी अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति से पूर्व का है। इससे स्पष्ट है कि जो कर्मचारी कनिष्ठ अभियन्ता सिविल डिप्लोमाधारी के पद पर नियुक्त हुए एवं उन्होने ए.एम.आई.ई. उत्तीर्ण कर अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति से पहले विभाग को निवेदन कर अपना स्थानान्तरण कनिष्ठ अभियन्ता सिविल डिग्रीधारी में करा लिया है।

अपीलार्थी ने वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का अनुतोष चाहा है। पदोन्नति आदेश दिनांक 01.01.2013 के अवलोकन से जाहिर है कि वर्ष 2006–07 में डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता से कोई पदोन्नति नहीं हुई है। ऐसा संभवत इस श्रेणी हेतु पद रिक्त नहीं होने के कारण हुआ है। वर्ष 2007–08 में डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता सिविल डिग्री में कुल 33 कार्मिकों की पदोन्नति हुई है जिसमें 18 कार्मिक आरक्षित श्रेणी के है, शेष 15 अनारक्षित श्रेणी के कार्मिकों 6 कनिष्ठ अभियन्ता जो डिग्रीधारी श्रेणी में ही नियुक्त हुए थे एवं अपीलार्थी से वरिष्ठ है, को पदोन्नति दी गई है। शेष 9 कनिष्ठ अभियन्ता जो डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता नियुक्त हुए एवं बाद में ए.एम.आई.ई. के आधार पर स्थानान्तरण से डिग्री संवर्ग में शामिल हुए है। वरिष्ठता सूची के आधार पर उक्त सभी 9 कार्मिकों का डिग्री संवर्ग में स्थानान्तरण अपीलार्थी के कनिष्ठ अभियन्ता

डिग्री के पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व का है। लिहाजा अपीलार्थी इनसे वरिष्ठ नहीं हो सकता। अपीलार्थी उसकी कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिग्री) के पद पर पूर्णतया एडहोक के रूप में हुई नियुक्ति दिनांक 11.06.1987 से वरिष्ठता का लाभ चाहता है, जो नियमानुसार संभव नहीं है।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार आलौच्य पदोन्नति आदेश 01.01.2013 वरिष्ठता सूची दिनांक 03.07.1991 के आधार पर जारी नहीं हुआ है बल्कि जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2009 एवं 03.09.2009 के आधार पर जारी हुए है, जिसे इस अपील में चुनौती नहीं दी गई है।

उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहा है। अतः अपील खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य